कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली-110002

सेवा में,

____

____

____

____

विषयः **68-CCTV (Including Hard Disc and other Accessories) कैमरों के लिए व्यापक रखरखाव अनुबंध (Comprehensive Maintenance Contract) (दिनांक 01.09.2024 से 31.08.2025 तक) के लिए मोहरबन्द निविदायें आमंत्रित करने हेतु।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि डी.जी.ए.सी.आर. परिसर/भवन में स्थापित 68 - CCTV (Including Hard Disc and other Accessories) कैमरों के लिए दिनांक 01.09.2024 से 31.08.2025 तक के लिए व्यापक रख-रखाव हेतु अनुबंध किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्य के लिए अपनी न्यूनतम दरों की मोहरबन्द निविदा निम्न विवरण के अनुसार भेजें:-

Name of the Office	**Items & Despcription**	**HAN/ SAC**	**Total no of Installed CCTVs.**	**Comprehensive Maintenance Contract (CMC) Amount in Rs. (Including GST)**
O/o DGA (CE), ND	CP Plus - 2MP Full HD WDRIR Network Bullet Camera-50 Mtr. (Including hard disc and other accessories with all set-up)	8525	15	
	CP Plus - 2MP Full HD WDRIR Network Dome Camera-30 Mtr. (Including hard disc and other accessories with all set-up)	8525	43	
	CP Plus - 4MP Full HD WDRIR Network Bullet Camera-30 Mtr. (Including hard disc and other accessories with all set-up)	8525	06	
	CP Plus - Indore HD Camera with 2.0 Mega Pixel and 3.6 mm/2.8mm lens (Including hard disc and other accessories with all set-up)	-	04	
	Total		**68**	

2. यह उल्लेख किया जाता है कि प्रथमत: (Prima facie) उपर्युक्त CCTV के अन्य Accessories के अलावा निम्न वस्तुएँ भी Comprehensive Maintenance Contract में समाहित मानी जाएगी:-

(1) 64 Ch. 4KNewtworkVideoRecorder (CP Plus)

(2) D-Link 8 Port Gigabit PoE Switch-8 PoE+2 uplink Port 250m

(3) D-Link 4 Port Gigabit PoE Switch-4 PoE+2 Uplink Port 250m

(4) D-Link 24 Port Switch All Port Full Giga

(5) D- Link Steel Frame Wall Mount Rack 6U
(6) Steel Frame Wall Mount Rack 4U
(7) Cat 6A D-Link LAN Cable
(8) Cable laying With PVC Pipe Laying Charges
(9) NVR Installation and Software Configuration Charge
(10) WD 6 TB hard disc
(11) Surveillance PVC Rack
(12) Box Power extention
(13) RJ 45 Connecter
(14) Hard Disk 4 TB (High Speed WD)
(15) Power Supply for Cameras
(16) BNC/DC Pin Connector
(17) CCTV Wire (Copper) 3+1/Coaxial/Power cable with fitting
(18) 16 Channel HD/AHD DVR with supporting 2.0 Mega Pixel Cameras (CP Plus)
(19) Installation and any other incidental/Items charges

फर्म के लिए नियम व शर्तें:-

1. सभी 68-CCTV कैमरें अनुबंध के आरम्भ में चालू हालत में दिए जायेंगे तथा अनुबंध खत्म होने पर चालू हालत में लिए जायेंगे।

2. फर्म दवारा शिकायत की स्थिति में/जरूरत पड़ने पर कैमरा इंजीनियर को तुरन्त इस कार्यालय में भेजना होगा तथा शिकायत का निपटान उसी दिन या अगले दिन दोपहर तक कराना होगा तथा 24X7 के लिए एक Complaint/Helpline Number उपलब्ध कराना होगा, जिस पर तुरन्त शिकायत दर्ज की जा सके।

3. मुहर बंद निविदाए, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (जी.डी. अनुभाग) को सम्बोधित करते हुए कार्यालय महानिदेशक लेखापीक्षा (केन्द्रीय व्यय), डी.जी.ए.सी.आर. भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110002 को प्रेषित की जानी चाहिए। निविदा दाता अपनी निविदा के साथ पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) में किए गए कार्यों के Experience Certificates एवं Completion Certificates की प्रतियां भी लगाएं। **निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.08.2024, 12.00 बजे तक है। निविदाए 30.08.2024 को सांय 3.00 बजे खोली जाएगी।**

4. अनुबंध दिए जाने के लिए, सफल बोलीदाता को अनुबंध देने से पहले **PAO, AG (Audit), Delhi** के पक्ष में अनुबंध मूल्य के तीन (3%) के बराबर की निविदा सावधि जमा के रूप में एक Performance Security जमा करनी होगी अन्यथा उनकी निविदा को रदद् कर दिया जाएगा। अनुबंध अवधि के संतोषजनक समापन पर Performance Security को बिना किसी ब्याज के चयनित बोलीदाता को वापस कर दिया जाएगा। Performance Security बोलीदाता के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि अथवा (14 माह) के लिए वैध रहनी चाहिए।

5. CMC के लिए चुनी गई फर्म की Performance Security कार्यालय द्वारा अनुबन्ध के सन्तोषजनक समाप्त होने तक कार्यालय में रखी जाएगी।

6. असन्तोषजनक सर्विस होने की दशा में अनुबन्ध एक सप्ताह के नोटिस पर रदद् किया जा सकता है तथा फर्म की देय राशि पर विचार नहीं किया जायेगा साथ ही साथ Performance Security भी जब्त की जा सकती है।

7. विवाद के मामले में इस कार्यालय के निदेशक (प्रशा.) या उनकी ओर से नियुक्त अधिकारी अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी होगा।

8. फर्म के बिलों में से सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयकर की कटौती की जाएगी।

9. फर्म द्वारा अपनी दरें जी.एस.टी.सहित प्रस्तुत करना अपरिहार्य है।

10. फर्म को सलाह दी जाती है कि वह निविदा submit करने से पूर्व Location of installed CCTV का निरीक्षण और जॉच करें और काम की सीमा, दायरे और शर्तों के संबंध में साईट और उसके आसपास मौजूद स्थितियों के बारे में खुद को संतुष्ट कर लें, जिसके तहत काम को निष्पादित करना आवश्यक है।

11. यह कार्यालय संपूर्ण प्रस्ताव दरों या उसके किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और एजेंसी/फर्म/कंपनी केवल अपनी उद्धृत दरों पर ही ऐसा करने के लिए बाध्य होगी।

12. सी.सी.टी.वी. सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करना और उचित शिकायतों के निपटान के बाद ही भुगतान किया जाएगा।

13. कार्य के दौरान कार्यालय संपत्तियों को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई फर्म को अपने खर्च पर करनी होगी।

14. कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों/सावधानियों को लागू करना फर्म की जिम्मेदारी होगी। यह कार्यालय श्रमिकों को होने वाली किसी भी दुर्घटना/चोट/नुकसान या उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी परिणामी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

15. फर्म द्वारा काम पूरा होने के बाद, साईट को सभी मलबे, तारों और टेपों आदि से साफ करना होगा। सभी छेदों को भरना होगा और मौजूदा फिनिश के अनुसार या प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार पूरा किया जाएगा।

16. कार्य आदेश की स्वीकृति पर, फर्म के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों का नाम जो इस कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से निर्देश लेने के लिए जिम्मेदार होगा, इस कार्यालय को सूचित करना होगा।

17. CMC अवधि के दौरान उत्पन्न सभी defects/replacement of parts इत्यादि का निवारण संबंधित फर्म द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा तथा इस कार्यालय द्वारा कुछ भी देय नहीं होगा।

18. फर्म द्वारा कार्यालय समय में (सुबह 9.00 बजे सायं 5.30 तक) अधिकारियों/कर्मचारियों को परेशान किए बिना शिकायतों का निपटान करना होगा।

19. फर्म को साईट पर कार्य करने के लिए उचित निष्पादन हेतु सभी उपकरण आदि स्वयं ही उपलब्ध कराने होंगे।

20. कार्य स्थल पर प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की पूर्ण संतुष्टि पर ही शिकायतों का निपटान माना जाएगा।

21. कार्यालय द्वारा CCTV Footage की आवश्यकता होने पर संबंधित फर्म द्वारा यह CCTV Footage उपलब्ध कराई जाएगी।

22. कार्यालय में CCTV का एक स्थान से दूसरे स्थान पर shifting करने का कार्य संबंधित फर्म द्वारा ही किया जायेगा।

23. फर्म द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए कार्यालय भवन में प्रवेश हेतु पहचान-पत्र बनवाने के लिए कर्मचारी की Police Verification Report प्रस्तुत करनी होगी।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (जी.डी.)